



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032021-226291
CG-DL-E-31032021-226291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1317]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943

No. 1317]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

का.आ. 1422(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45यक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2021 से शुरू और 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, निम्नानुसार मुद्रास्फीति के लक्ष्य को अधिसूचित करती है:

मुद्रास्फीति लक्ष्य : चार प्रतिशत ।

ऊपरी सह्यता स्तर : छह प्रतिशत ।

निम्नतर सह्यता स्तर : दो प्रतिशत ।

[फा.सं. e-12/1/2020-एफएसआरएल]

डॉ. शशांक सक्सेना, ज्येष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2021

S.O. 1422(E).—In exercise of the powers conferred by section 45ZA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government, in consultation with the Bank, hereby notifies the inflation target for the period beginning from the first day of April, 2021 and ending on the March 31, 2026, as under:

Inflation Target	:	Four per cent.
Upper tolerance level	:	Six per cent.
Lower tolerance level	:	Two per cent.

[F. No. e-12/1/2020-FSRL]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Senior Economic Adviser